न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 82/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2016/00003)

1. शायर सिह
2. महेन्द्र सिंह
3. कल्याण सिंह

पुत्रगण स्व. श्री बाघ सिह पुत्र स्व. श्री रावत सिह जाति...

4. महावीर सिह पुत्र स्व. श्री रावत सिह
5. माधो सिह पुत्र स्व. श्री प्रभु सिह पुत्र श्री उगम सिह जाति राजपूत (शेखावत) निवासी काली पहाड़ी तहसील व जिला झुन्झुनू

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमति सज्जन कंवर धर्मपत्नी स्व. श्री विक्रम सिह जाति राजपूत (शेखावत) निवासी काली पहाड़ी तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. श्रीमति कृष्णाकंवर (पुत्री स्व. श्री विक्रम सिंह) धर्म पत्नी श्री जोगेन्द्र सिह जाति राजपूत, निवासी कारी, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3. श्रीमति मोनिका कंवर (पुत्री स्व. श्री विक्रम सिंह) धर्म पत्नी श्री अरूण सिह जाति राजपूत, निवासी चिण्डालिया, तहसील मकराना जिला नागौर।
4. भवानी सिह पुत्र स्व. श्री विक्रम सिह, जाति राजपूत (शेखावत) निवासी काली पहाड़ी तहसील व जिला झुन्झुनू।
5. ज्योतिकंवर पुत्री स्व. श्री विक्रम सिह, जाति राजपूत (शेखावत) निवासी काली पहाड़ी तहसील व जिला झुन्झुनू।

मृतक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विधिक उतराधिकारी/रेस्पोडेन्ट–

6. श्रीमति भंवर कंवर (पुत्री स्व. श्री भोपाल सिह) धर्मपत्नी श्री अजीत सिह पुत्र स्व. श्री भंवर सिह जाति राजपूत (राठौड़) निवासी पुलिस कॉलोनी,हनुमानगढ टाऊन, तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. श्रीमति सन्तोष कंवर (पुत्री स्व. श्री भोपाल सिह) धर्मपत्नी स्व. श्री जगरूप सिह जाति राजपूत (राठौड़) निवासी गारव देसर हाऊस, पुरानी गिनाणी बीकानेर,तहसील व जिला बीकानेर।
8. श्रीमति उच्छवकंवर धर्मपत्नी स्व. श्री भोपाल सिह,जाति राजपूत (शेखावत) निवासी काली पहाड़ी, तहसील व जिला झुन्झुनू। (मृत्यु) नाम कलम जन किया गया।
9. श्रीमति भवर कंवर धर्मपत्नी स्व. श्री प्रभु सिह जाति राजपूत (शेखावत) निवासी काली पहाड़ी, तहसील व जिला झुन्झुनू (मृत्यु) नाम कलम जन किया गया।
10. प्रेम सिह पुत्र स्व. श्री प्रभु सिह पुत्र स्व. श्री उगम सिह जाति राजपूत (शेखावत) निवासी काली पहाड़ी, तहसील व जिला झुन्झुनू।
11. श्रीमति किरण कंवर धर्मपत्नी स्व. श्री बजरंग सिह पुत्र स्व. प्रभु सिह जाति राजपूत (शेखावत) निवासी काली पहाड़ी, तहसील व जिला झुन्झुनू।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

12. गोपाल सिह | पुत्रगण स्व. श्री बजरंग सिह पुत्र स्व. श्री प्रभु सिह
13. शक्ति सिह |
14. श्रीमति वंदनाकंवर धर्मपत्नी स्व. श्री सन्तोष सिह पुत्र स्व. श्री प्रभु सिह जाति राजपूत (शेखावत) निवासी काली पहाड़ी, तहसील व जिला झुन्झुनू।
15. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री राजकुमार व्यास — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री रामदेवसिह राठौड़ —अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

निर्णय **दिनांकः 07.11.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के अपील संख्या 23/2014 निर्णय दिनांक 09.06.2016 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के अपील संख्या 23/2014 अनवान शायरसिह वगैरह बनाम विक्रम सिह वगैरह निर्णय दिनांक 09.06.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर इन्तकाल संख्या 309 दिनांक 20.01.2014 व प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.06.2016 को अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट सं 2 ता 7 एवं 10 ता 15 के निमित साधारण नोटिस/रजिस्ट्र्ड नोटिस एवं अखबार में नोटिस प्रकाशन किये जाने के बावजूद उपस्थित नही हुवे। इनके विरूद्ध एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 श्रीमती उच्छवकंवर, रेस्पोडेन्ट संख्या 9 श्रीमति भंवर कंवर की मृत्यु हो जाने पर इनका नाम अपील से कलम जन किया गया है।
4. बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो पर अंकित विन्दुओ एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत लिखित बहस का हवाला देते हुए कथन किया कि उपरोक्त द्वितीय अपील अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 09.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। गुलाब सिह पुत्र रावतसिंह के नाम कृषि भूमि चक 11 एच एम एच पं. नं. 147/263 कि. नं. 1 ता 25 कुल 25 बीघा आवटित थी। गुलाब सिह लाऔलाद फौत हुए जिस पर कृषि भूमि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

का विरासतन इंतकाल उनकी पत्नी चांद कंवर के नाम दर्ज हुआ जिनका दिनांक 05.12.2013 को देहान्त हो गया। चांद कंवर की मृत्यु के पश्चात इंतकाल सं. 309 विक्रम सिह पुत्र भोपाल सिह निवासी काली पहाड़ी के नाम दर्ज हुआ। विक्रम सिह ने चांदकंवर की कथित वसीयत दिनांक 21.06.08 के आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु आवेदन दिया, जिसके आधार पर तहसीलदार ने इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 (2) ख के अनुसार किसी भी महिला जिसकी निसंतान मृत्यु हो ओर उसे सम्पत्ति अपने पति या ससुर की तरफ से प्राप्त हो तो वह सम्पत्ति पति के वारिसान मे Devolve होगी। तहसीलदार के संमक्ष जब वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ, वसीयत में स्पष्ट वर्णित है कि चांदकंवर के जायन्दा संतान नही है। इस स्थिति में तहसीलदार की यह Duty थी कि चांद कंवर पति के जो भी जायज वारिसान है उनको सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात ही इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिया जाना था। अपीलान्ट मृतक गुलाब सिह के भाई के पुत्र है जो चांद कंवर के पति के निकटतम वारिसान है जिन्हे सुनवाई का अवसर नही दिया गया था। तहसीलदार व विक्रम को इस तथ्य का भली भांति ज्ञान था कि चांदकंवर के वारिसान स्थानीय अधिकारिता यानि हनुमानगढ मे निवास नही करते बल्कि काली पहाड़ी झुन्झुनू में निवास करते है। न्यायालय ने आपत्ति की सूचना हनुमानगढ के दैनिक अखबार देनिक तेज मे प्रकाशित करवाई जो झुन्झुनू में सरकुलेट नही होता था यह सूचना राज्य स्तर के अखबार में प्रकाशित होनी चाहिए थी, वारिसान को नियमानुसार सूचना नही हुई है। तहसीलदार ने वसीयत की सत्यता की जांच नही की वसीयत के गवाहान को न्यायालय के समक्ष परीक्षण नही करवाया गया, विक्रम सिह व गवाहान अजीतसिह व सुरेन्द्रसिह के शपथ पत्र जो नोटेरी पब्लिक से तस्दीक थे उसी के आधार पर वसीयत को सही मान लिया गया। मौका रिपोर्ट भी पटवारी से साजबाज कर के गलत तौर पर तैयार की गई। मृतक चांद कंवर बेवा औरत थी जो ठेके पर काश्त करवाती थी मृत्यु पर्यान्त उसका ही कब्जा रहा है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कथित वसीयत फर्जी व कूटरचित है जिसके विरूद्व एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 650 दिनांक 10.11.14 को अन्तर्गत धारा 467, 468, 471, 420, 120 आई पी सी का दर्ज करवाई है। इस प्रकरण में वसीयत पुलिस द्वारा जब्त की जाकर एफ एस एल जांच हेतु भेजी गई। वसीयत अनरजिस्ट्र्ड थी जिसके आधार पर इंतकाल दर्ज नही हो सकता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 309 दिनांक 20.01.2014 व प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.06.2016 को अपास्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण से पूर्व श्रीमती चांद कवंर द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 21.06.2008 की वैधता के संबध मे सम्पूर्ण जांच की गई नियमानुसार समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित की गई, परिवार का शपथ पत्र लिया गया। तहसीलदार के संमक्ष वसीयत बाबत किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही आई। वसीयत की वैधता के संबध में कोई संदेह नही होने पर तहसीलदार द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रक्रिया है। इसमें पक्षकारो के अधिकारो का निर्णय नही किया जा जाता है। अपीलान्ट द्वारा अभि तक श्रीमति चांद कंवर द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 21.06.2008 को किसी भी संक्षम न्यायालय में चुनौति नही दी है और जब तक वसीयत को संक्षम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नही किया जाता तब तक उक्त वसीयत के नामान्तरकरण की कार्यवाही को अपास्त नही किया जा सकता है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 09.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रकरण में विस्तृत जांच एवं हितबद्व पक्षकारो को सुनने का अभाव रहा है, जो कि न्यायोचित नही है। उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2016 को निरस्त किया जाता है

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तथा प्रकरण अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में विधिवत जांच व उभय पक्ष/हितबद्व पक्षकारान की सुनवाई की जाकर नियमानुसार निस्तारण करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर